

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पुलिस हस्तक नियम-778(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवा निवृत्ति निकटता के आधार पर प्रारक्ष अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) कोटि के पदाधिकारियों का प्राप्त अभ्यावेदनों पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में केन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-22.07.2021 को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित प्रारक्ष अवर निरीक्षक(प्रशिक्षण) का नीचे उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित जिला बल/इकाई में स्तम्भ-9 में अंकित तिथि के प्रभाव से स्थानान्तरण किया जाता है :-

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	स्थानान्तरित जिला	विरमित करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	विनय कुमार शर्मा	पटना	06-04-1963	नवादा	पटना	पटना	तत्काल प्रभाव से
2	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	विलास प्रसाद यादव	खगड़िया	05-03-1963	सिवान	खगड़िया	खगड़िया	तत्काल प्रभाव से
3	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	सत्येन्द्र सिंह	भोजपुर	16-10-1962	औरंगाबाद	पटना	पटना	दिनांक-01.11.2021 के प्रभाव से
4	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	बीरबल यादव	बलिया (उ०प्र०)	10-05-1963	कटिहार	गोपालगंज	गोपालगंज	तत्काल प्रभाव से
5	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	रामचन्द्र राउत	बेतिया	03-03-1963	मुजफ्फरपुर	बेतिया	बेतिया	तत्काल प्रभाव से
6	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	प्रेम कुमार सिंह	भोजपुर	15-04-1963	मुजफ्फरपुर	भोजपुर	भोजपुर	तत्काल प्रभाव से
7	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	उदय सिंह	पटना	02-05-1963	कैमूर	पटना	पटना	तत्काल प्रभाव से
8	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	सुबोध कुमार चौधरी	मुंगेर	21-05-1963	दरभंगा	मुंगेर	मुंगेर	तत्काल प्रभाव से
9	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	शशि भूषण राय	बेतिया	12-06-1963	किशनगंज	बेतिया	बेतिया	तत्काल प्रभाव से
10	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	बाल कुमार ठाकुर	भागलपुर	07-06-1963	नालन्दा	भागलपुर	भागलपुर	तत्काल प्रभाव से
11	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	हरेन्द्र दुबे	सिवान	23-01-1962	नवादा	पटना	पटना	तत्काल प्रभाव से
12	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	अब्दुल कादिर खॉ	गाजीपुर (उ०प्र०)	02-07-1963	नवादा	भोजपुर	भोजपुर	तत्काल प्रभाव से

M 28/1/21

क्र०	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ चाहते हैं	स्थानान्तरित जिला	विरमित करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	प्रा०अ०नि० (प्रशि०)	विनय कुमार पासवान	गया	03-03-1963	मोतिहारी	गया / अरवल	गया	तत्काल प्रभाव से

3. उक्त स्थानान्तरण सेवानिवृति के निकटता एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। इसलिए सेवानिवृति के निकटता के आधार पर गृह जिला हेतु कार्यकाल 30 माह तक शेष रहने वाले एवं ऐच्छिक जिला हेतु 18 माह तक कार्यकाल शेष रहने वाले पुलिस पदाधिकारियों का स्थानान्तरण आदेश निर्गत किया जा रहा है। परंतु, संबंधित कार्यालय प्रधान कंडिका 01 में स्थानान्तरित पदाधिकारियों के सम्मुख स्तम्भ 09 में अंकित तिथि के प्रभाव से विरमित करने / जिलादेश निर्गत करने से पूर्व उक्त पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की जाँच करेंगे। पदाधिकारियों के सेवाभिलेख में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश के आलोक में सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को अविलम्ब विरमित करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदनुसार अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

5. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः यात्रा / स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

M 28/7/21
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक)
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- / पी०-२ / ०७-०६-०५-२०२१ / 719

पटना, दिनांक:- 28/07/2021

प्रतिलिपि :-

1. सभी पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक / सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक (रेल / इकाई सहित) / सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल / इकाई सहित) / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी प्राचार्य, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

M 28/7/21
पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना